न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–स0मा0

मु.नं. :12/2025	तारीख रजू 09.07.2025	निर्णय दिनांक 21.07.2025

सरकार बनाम अर्जुन

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चूली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि श्री अर्जुन पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी भोलू की कोठी ने ग्राम चूली के खसरा नं. 738 रकबा 0.03, 654 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत् 2082 में अनाधिकृत रूप से जोत कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.516/– की 50 गुना शास्ति 26/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार शिहरा)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ....
पर रुपये 26/– की कायमी वर्ष
2025–26 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार